अंतिम तिथि 31.8.09

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र.शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल 462004

कमॉक 293 आउशि / छा.शाखा. / 2009 / भोपाल दिनॉक 14/7/09
प्रति,

1. कुल सचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय,
   मध्यप्रदेश ।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
   उच्च शिक्षा,
   इंदोर / भोपाल / ग्वालियर / रीवा / जबलपुर संभाग,
   मध्यप्रदेश ।
3. प्राचार्य,
   समस्त शासकीय महाविद्यालय,
   मध्यप्रदेश।
4. संचालक,
   फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान,
   पूणे (महाराष्ट्र)
5. संचालक,
   राष्ट्रीय आधुनिक कला संगाहालय,
   नई दिल्ली ।
6. संचालक,
   राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय,
   नई दिल्ली ।

विषयः— मध्यप्रदेश शसन, उच्च शिक्षा विभाग व्दारा म.प्र. के भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के लिये दी जाने वाली छात्रवृत्तियों एवं एकीकृत छात्रवृत्तियॉ वर्ष 2009—10 ।

—0—

राज्य शासन व्दारा मध्यप्रदेश के भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चो को व्यावसायिक शिक्षा के लिये दी जाने वाली छात्रवृत्तियॉ एवं एकीकृत छात्रवृत्तियॉ वर्ष 2009—10 हेतु छात्र—छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिये संभाग के प्रमुख समाचार पत्रों एवं रोजगार निर्माण में विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है । जिसकी अंतिम तिथि 31.8.09 निर्धारित की गई है ।

अतः छात्र—छात्राओं के आवेदन अग्रेषित करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाये कि आवेदन पत्र दिनॉक 31.8.09 तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जायें । पत्र के साथ मार्गदर्शी सिध्दांत की प्रति एवं आवेदन पत्र संलग्न कर भेजा जा रहा है । निर्धारित तिथि के बाद आये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा ।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा म.प्र.

अंतिम तिथि 31.8.09

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र.शासन
सतपुडा भवन, भोपाल 462004

राज्य शासन की एकीकृत छात्रवृत्ति वर्ष 2009–10

शिक्षा सत्र 2009–10 में छात्रवृत्ति के लिये निर्धारित प्रारूप मे आवेदन पत्र आंमंत्रित किये जाते हैं । छात्रवृत्तियों के आवेदन संस्था प्रमुखों के माध्यम से नीचे दिये गये पते पर दी गई समय सीमा अधिकतम दिनॉक 31.8.09 तक प्राप्त हो जाने चाहियें । पात्रता / शर्तें निम्न हैं :–

1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. तथा म.प्र. के विश्वविद्यालयों से वर्ष 2008–09 में अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र–छात्राओं को ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की पात्रता होगी ।
2. यह छात्रवृत्तियॉं केवल सामान्य शिक्षा के छात्रों के लिये दी जाती है ।
3. सामान्य शिक्षा के लिये स्वीकृत एकीकृत छात्रवृत्ति,व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश पाने पर स्थानांतरित नहीं की जावेगी ।
4. संस्कृत छात्रवृत्ति के लिये केवल प्राच्य पद्वति के संस्कृत महाविद्यालयों के छात्रों के ही आवेदन मान्य किये जावेंगे ।
5. एकीकृत छात्रवृत्ति हेतु अभिभावकों की वार्षिक आय 25,000/– से अधिक न हो ।
6. वेतन भोगी अधिकारी/कर्मचारी अभिभावकों को आहरण संवितरण अधिकारी का आय प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिये ।
7. अन्य आय वर्गीय व्यक्तियों को प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/नोटरी व्दारा आय घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
8. छात्रवृत्ति के लिये आवेदन पत्र संस्था प्रमुखों के माध्यम से समय सीमा दिनॉक 31.8.09 तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिये ।निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
9. इच्छुक छात्र–छात्रायें अपने शैक्षणिक संस्थाओ के संस्था प्रमुंख के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर भेजें ।

   आवेदन पत्र संचालनालय को भेजने के पूर्व संस्था प्रमुख उन्हें भेजी गई छात्रवृत्ति मार्गदर्शिका के अध्याय–3 पृष्ठ 28–29 में दी गई प्रकिया अनुसार कार्यवाही करें ।
10. चाही गई छात्रवृत्ति का नाम आवेदन के उपरी भाग में बडे अक्षरों में लिखें ।

11. अग्रेषणकर्ता संस्था प्रमुख व्दारा आय सीमा से अधिक के आवेदनों पर बडे अक्षरों में आय सीमा की बडी रबर मोहर आवेदन की मुख्य पृष्ठ पर लगायें ।

12. संकाय वार छात्रवृत्ति का विवरण निम्न अनुसार है :–

स. क्रं.	छात्रवृत्ति	विषय अथवा छात्र/छात्रायें	कोटा	राशि प्रतिमाह	निर्धारित अर्हता
1.	शोध	विज्ञान कला वाणिज्य	9 7 2	600/–	1.म.प्र. में किसी विश्वविद्यालय में शोध कार्य के लिये पंजीयन आर.डी.सी. में साक्षात्कार के उपरांत किया हो । 2.पी.जी. में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हों ।
2.	एम.फिल.	विज्ञान कला वाणिज्य	7 6 1	300/–	स्नातकोत्तर में कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हों ।
3.	स्नातकोत्तर योग्यता	विज्ञान कला वाणिज्य	36 26 11	250/–	वर्ष 2008–09 में स्नातक उपाधि परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हों ।
4.	स्नातकोत्तर योग्यता (सहसाधन)	विज्ञान कला वाणिज्य	36 26 11	250/–	वर्ष 2008–09 में अपनी स्नातक उपाधि परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हों ।
5.	खेलकूद	छात्र छात्रायें	11 11	150/–	जो छात्र म.प्र. की स्कूल टीम में राष्ट्रीय खेल दल मे रहे हो या जो प्रदेश की व्यस्क टीम में हो या प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में पहले तीन स्थानों मे से किसी पर रहे हों ।
6.	स्नातक योग्यता	विज्ञान कला वाणिज्य	73 51 22	150/–	माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में वर्ष 2008–09 में 60 प्रतिशंत अंक प्राप्त हों ।
7.	स्नातक योग्यता (सहसाधन)	विज्ञान कला वाणिज्य	73 51 22	150/–	माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में वर्ष 2008–09 में 55 प्रतिशंत अंक प्राप्त हों ।
8.	फिल्म एवं ,दूरदर्शन संस्थान पुणे	–	02	600/–	मध्यप्रदेश के छात्रों व्दारा प्रवेश पाने पर एवं संस्थान के संचालक की अनुशंसा पर ।
9.	राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली	–	02	600/–	मध्यप्रदेश के छात्रों व्दारा प्रवेश पाने पर एवं संस्थान के संचालक की अनुशंसा पर ।
10.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई	–	02	600/–	मध्यप्रदेश के छात्रों व्दारा प्रवेश पाने पर एवं संस्थान के

	दिल्ली				संचालक की अनुशंसा पर ।
11.	संस्कृत छात्रवृत्तियॉं	1.स्नातकोत्तर (एम.ए. क्लासिक)	07	250/–	वर्ष 2008–09 को उपाधि परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।
		2.आचार्य	07	250/–	वर्ष 2008–09 में शास्त्री अथवा समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों ।
		3. स्नातक (बी.ए. क्लासिक)	11	150/–	10+2 की वर्ष 2008–09 की परीक्षा में या उसके समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।
		4. शास्त्री	18	150/–	10+2 की वर्ष 2008–09 की परीक्षा में या उसके समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।
		5.उत्तर मध्यमा	33	75/–	पूर्व मध्यमा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों ।
		6. पूर्व मध्यमा	33	75/–	प्रथमा अथवा समकक्ष में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो ।
		7.प्रथमा	91	50/–	पॉचवी परीक्षा मे योग्यता के आधार पर प्रथम 91 छात्र–छात्राओं को

टिप्पणी

1. उपरोक्त जानकारी बेबसाईट www.mp.gov.in/highereducationmp पर उपलब्ध हैं। साथ ही संबंधित संभाग के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा/विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं प्राचार्य शासकीय महाविद्यालयों से भी प्राप्त की जा सकती है ।

2. आवेदन पत्र आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल को दिनॉंक 31.8.09 तक प्राप्त हो जाना चाहिये । विलम्ब से प्राप्त आवेदन अमान्य किये जायेंगे । संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।

इस संदर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल में पदस्थ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी छात्रवृत्ति से भी दूरभाष कमॉंक 0755–2554763 पर संपर्क किया जा सकता है ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा म.प्र.

महाविद्यालय/संस्था प्रमुख का प्रमाण पत्र

(1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. ....

को दिनॉक ....जो कक्षा ....में नियमित/पूर्णकालिक छात्र के रूप मे प्रवेश दिया गया था और उसका अध्ययन जारी है । मैने इस फार्म की प्रविष्टियों की जॉच कर ली है वह सही हैं ।

(2) विद्यार्थी व्दारा जिस पाठ्यकम में अध्ययन किया जा रहा है वह व्यावसायिक पाइ्यकम है ।

(3) इस संस्था में प्रवेश के लिए छात्र व्दारा उसके आवेदन पत्र पर मैं भी यह प्रमाणित करता हूँ कि उसने इसके पहले किसी भी विध्वसंक कार्यवाही जिसमें हडताल भी शामिल हैं, मैं भाग नहीं लिया है और उसका आचरण अच्छा है ।

संलग्न सहपत्रों की संख्या :–

महाविद्यालय/संस्था प्रमुख के
हस्ताक्षर एवं सील

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल 462004

अंतिम तिथि 31.8.09

म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग व्दारा मध्यप्रदेश के भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की योजना वर्ष 2009–10 ।

शिक्षा सत्र 2009–10 के लिये उपर्युक्त श्रेणी के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के अध्ययन के लिये 100 छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्तियॉ प्रदान की जाने के लिये निम्न लिखित पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों से संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दिनॉक 31.8.09 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं ।

पात्रताः–

(1) म.प्र. का मूल निवासी हो ।
(2) केवल वे ही छात्र पात्र होंगे जिन्होंने वर्ष 2008–09 में हाई स्कूल/हायर सेकेन्ड्री की परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।
(3) व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों (हाई स्कूल 10 वी) हायर सेकेन्ड्री 10+2
(4) भूमिहीन कृषक मजदूर के पुत्र/पुत्री हो इसका प्रमाण पत्र तहसीलदार व्दारा जारी किया गया हो ।
(5) छात्र–छात्राओं के पालकों की आय सीमा रूप्ये 25,000/–(पच्चीस हजार मात्र) वार्षिक से अधिक न हो । इस हेतु आय प्रमाण पत्र तहसीलदार का मान्य किया जावेगा ।
(6) व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लिया हो ।

नोटः–

व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा से संबंधित निम्न पाठ्यक्रम/संकाय सम्मिलित हैं ।

1. पॉलीटेकनिक
2. इंजिनियरिंग –बी.ई.
3. चिकित्सा शिक्षा(एम.बी.बी.एस/बी.ए.एम.एस./बी.यू.एम.एस./बी.डी.एस.)
4. पैरामेडीकल कोर्स (चिकित्सा महाविद्यालय के अन्तर्गत)
5. कृषि इंजिनियरिंग बी.ई.ए.जी., डी.ई.ए.जी.
6. बी.एससी.नर्सिंग

7. सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले समस्त व्यावसायिक पाठ्यकम जो विश्वविद्यालय व्दारा संचालित किये जा रहे हों, जैसे :– बी.लिब. बी.एड.,बी.पी. एड, बी.ए.एलएल.बी. आदि ।

(2):– छात्रवृत्ति की राशि

इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय व्दारा संचालित किये जाने वाले समस्त व्यावसायिक पाठ्यकम हेतु प्रति वर्ष **2,500/– –(दो हजार पॉच सौ मात्र)** की छात्रवृत्ति देय होगी ।

ये छात्रवृत्ति चयनित छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यकम पूर्ण होने तक प्राप्त होगी अर्थात स्नातक अंतिम वर्ष तक प्रदाय की जायेगी ।

(3) चयनः–

इस छात्रवृत्ति का चयन एक समिति व्दारा केवल छात्रवृत्ति को समय सीमा मे योग्यता के आधार पर अर्थात मेरिट के आधार पर उस वर्ष की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों मे से ही किया जावेगा ।

(4) नवीनीकरणः–

विद्यार्थियों के बेहतर शैक्षणिक कार्य निष्पादन, संतोषजनक प्रगति एवं आचरण नियमित उपस्थिति तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद समुचित प्रतिपूर्ति के आधार पर संस्था प्रमुंख व्दारा नवीनीकरण किया जायेगा । बजट की मॉग संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश से संस्था प्रमुख व्दारा की जावेगी ।

(5) अन्य शर्तें:–

छात्रवृत्ति धारक जिस पाठ्यकम के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा हैं उसके लिए अन्य कोई छात्रवृत्ति अथवा बजीफा प्राप्त नहीं करेगा, यदि ऐसे विद्यार्थियों को पूर्व से कोई छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही होगी तो उसे इस छात्रसवृत्ति का लाभ उठाने के लिए ऐसी छात्रवृत्ति छोडना पडेंगी । अर्थात एक समय मे एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी ।

समुचित प्रतिपूर्ति के बाद आवेदन पत्र इस कार्यालय मे विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा (छात्रवृत्ति) के नाम से दिनॉक 31.8.09 तक प्राप्त हो जाना चाहिये । उक्त दिनॉक के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा म.प्र.

मध्यप्रदेश के भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2009–10

अंतिम तिथि 31.8.09

1. विद्यार्थी का पूरा नाम ....
2. महाविद्यालय / संस्था जिसमें प्रवेश लिया हो .... **फोटो प्राचार्य**
3. कक्षा जिसमे प्रवेश लिया हो .... **व्दारा प्रमाणित**
4. पिता / अभिभावक का पूरा नाम ....
5. व्यवसाय ....
6. माता / पिता / अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय (नोटरी / कलेक्टर / तहसीलदार का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. जिस संस्था में अध्ययन किया हो उसके ब्यौरे (सत्यापित अंकसूची संलग्न करें)

कमॉक	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	अनुकमॉक	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

8. भूमिहीन कृषि श्रमिक के पुत्र / पुत्री होने का प्रमाण पत्र जो तहसीलदार व्दारा जारी किया गया हो ।
9. (क) उस संस्था महाविद्यालय का नाम जिसमें .... शिक्षा सत्र 2009–10 के लिये प्रवेश लिया गया हो । ....
   (ख) आवेदक के प्रवेश की तिथि ....
   (ग) व्यावसायिक पाठ्यकम का नाम जिसमें प्रवेश लिया हो । ....
   (घ) व्यावसायिक पाठ्यकम की अवधि .... (इस हेतु प्राचार्य का प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....
10. मैं एतद व्दारा यह घोषित करता / करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे व्दारा दिये गये विवरण सही एवं सत्य हैं ।

मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि यदि आवेदित छात्रवृत्ति के लिये मेरा चयन किया गया तो संपूर्ण समय अध्ययन में लगाउगॉ और यह कि मैं किसी अन्य स्त्रोत से कोई दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करूँगा ।

स्थानः– **आवेदक के हस्ताक्षर**

दिनॉक :–

घोषणा

1. मैं एतद व्दारा यह घोषित करता हूं कि इस आवेदन पत्र में मेरे व्दारा दिये गये विवरण पूर्णतः सत्य हैं ।
2. मैं यह भी घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मेरा आवेदित छात्रवृत्ति के लिये मेरा चयन किया जाता है तो मैं पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से शोध कार्य मे संलग्न रहूँगा /रहूँगी और यह कि मैं किसी अन्य स्त्रोतो से कोई दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करूंगा/करूंगी ।
3. मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मै कोई सेवा या व्यवसाय आदि नही करूँगा/करूंगी ।
4. मैं यह भी घोषित करता हूँ कि यदि मेरे व्दारा शोधावधि मे कही नौकरी/व्यवसाय करते हुए पाये जाने पर अर्थात घोषण पत्र में दिये गये शर्तों के विपरीत कार्य करने पर शासन व्दारा पी.एच.डी. हेतु दी गई राशि को ब्याज सहित वापिस करूंगा/करूंगी ।

स्थान :– आवेदक के हस्ताक्षर

दिनॉक :–

संलग्न सहपत्रों की संख्या

विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....को दिनॉक .... को पी.एच.डी. ....में नियमित/पूर्णकालिन छात्र के रूप में प्रवेश दिया गया है और इनका शोध कार्य अभी जारी है । मैने इस आवेदन पत्र पर प्रविष्टियों की जॉच कर ली है वे सही है ।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उक्त शोधार्थी का कार्य, व्यवहार एवं आचरण अच्छा/उत्तम कोटि का है ।

कुल सचिव/संस्था प्रमुख के
हस्ताक्षर एवं सील

एकीकृत छात्रवृत्ति नियम (पुनरीक्षित) की छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन पत्र वर्ष 2009–10

नाम छात्रवृत्ति	....

1. पूरा नाम श्री / श्रीमती / कु. ....

कक्षा ....

2. (क) पिता का नाम ....
   (ख) यदि पिता जीवित न हों तो अभिभावक का पूरा नाम ....
   (ग) स्थायी निवास का पता ....
   (घ) व्यवसाय ....
3. माता / पिता छात्रों की समस्त स्त्रोंतो से कुल मासिक आय ....
   (कर्मचारियों की आय मूल वेतन के आधार पर) ....

संस्था का नाम	प्रवेश की तिथि	छोड़ने की तिथि	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)

5. वर्ष में उत्तीर्ण अर्हकारी परीक्षा का नाम ....
   (1) विद्यालय का नाम जिसमें परीक्षा में बैठा ....
   (2) परीक्षा के कुल पूर्णांक ....
   (3) प्राप्त अंक ....
   (अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जावे)..
   (4) प्रतिशत ....

6. (अ) उस संस्था का नाम जिसमें शिक्षा वर्ष के लिये प्रवेश लिया गया है । ....
   (ब) आवेदक के प्रवेश की सही तिथि ....
   (स) लिये गये पाठ्यकम का नाम तथा पाठ्यकम की अवधि ....
7. क्या आवेदक छात्रावासी है । ....
   (यदि हॉ तो वार्डन का प्रमाण संलग्न किया जावे)..
8. क्या अन्य कोई छात्रवृत्ति मिल रही है । ....
9. मैं एतद व्दारा यह घोषित करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे व्दारा दिये गये विवरण सही है ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि यदि आवेदित छात्रवृत्ति के लिये मेरा चयन किया गया तो मैं सम्पूर्ण समय अध्ययन कम में लगाउंगा और यह कि मैं किसी अन्य स्त्रोत से कोई दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करुंगा ।

स्थान :– ....

दिनौंक :–............................ **आवेद के हस्ताक्षर**

(10) मैं (नाम) ....घोषित करता हूँ कि समस्त स्त्रोतों से मेरी एवं मेरी पत्नी की मासिक आय कमशः ....रूपये ....है ।

आवेदक के पिता के हस्ताक्षर

(11) मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार छात्र .... की माता पिता की मासिक आय कमशः ....रूपये ....है ।

राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर नाम और पद

12. **संस्थाके प्रमुख का प्रमाण पत्र :–**

(1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... को दिनॉक ....को कक्षा.................................में नियमित पूर्णकालीन छात्र के रूप में प्रवेश दिया गया था और उसका अध्ययन जारी है । मैने इस फार्म की प्रविष्टियों की जॉच कर ली है और वे सही है ।

(2) इस संस्था मे प्रवेश के लिये छात्र व्दारा उसके आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये आचरण प्रमाण पत्र के आधार पर मैं भी यह प्रमाणित करता हूँ कि उसने इसके पहिले किसी भी विध्वंसक कार्यवाही जिसमें हडताल भी शामिल है , में भाग नही लिया था और उसका आचरण अच्छा है ।

(3) श्री / श्रीमती / कुमारी ....छात्रावासी हैं / नहीं है ।

स्थानः– संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर (सील सहित)

दिनॉक :–

सहपत्रों की सूची :–

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)